संख्या:10/2017/864जेएल/22-3-17-100(30)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2017***

विषय: जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मोख्तार अंसारी पुत्र श्री सुभानउल्लाह अंसारी को अन्यत्र कारागार में स्थनान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-05/2017/663जेएल/22-3-17-100(30)/2007, दिनांक 28-03-2017 द्वारा जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मोख्तार अंसारी पुत्र श्री सुभानउल्लाह अंसारी को केन्द्रीय कारागार, आगरा में स्थानान्तरित किया गया था। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-9694/सामा-1(3)/टी.सी.आगरा मं0/2016, दिनांक 29-03-2017 में किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.03.2017 एतदद्वारा निरस्त करते हुए उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मोख्तार अंसारी पुत्र श्री सुभानउल्लाह अंसारी को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, बांदा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।**

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या:10/2017/864जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा।
4. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in